

झारखण्ड सरकार
सकनीकी परीक्षा कोषांग
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, राँची।

पत्रांक - नि0वि0-08 - 01 (तप.पं.)/2020

358

/ राँची / दिनांक -

13/11/2020

प्रेषक -

ई. राजदेव सिंह
मुख्य अभियन्ता-राह-संयोजक,
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

सेवा में

1. राहस्य, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-राह-मुख्य अभियन्ता, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची।
2. राहस्य, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-राह-मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग, (विशेष प्रदोत्र) झारखण्ड, राँची।
3. राहस्य, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-राह-अभियन्ता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. राहस्य, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-राह-मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
5. राहस्य, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-राह-मुख्य अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. राहस्य, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-राह-मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. राहस्य, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-राह-अभियन्ता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय - राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक के संबंध में।

प्रसार - इस कार्यालय का पत्रांक-358 (अनु.) दिनांक-13.11.2020

महाराज्य,

उपरोक्त विषयक सदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा SIDHIVINAYAK BITUMEN ENTERPRISE PVT. LTD.- KOLKATA को दिनांक-12.11.2020 को आयोजित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उक्त प्रतिष्ठान को Emulsion आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किया गया है। Emulsion की आपूर्ति वर्तमान एवं भविष्य में चलित परियोजनाओं के अंतर्गत सभी निर्माण कार्यों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

- (i) आपूर्ति होने वाले Emulsion की Physical एवं Chemical Properties IS-8887-2004 एवं IRC-16-2008 तथा भारतीय पथ कांसेस द्वारा विशिष्टि में किये जाने वाले परिवर्तनों के अनुसार होगी।
- (ii) Emulsion की आपूर्ति कार्य विभागों के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप होगा।
- (iii) Emulsion के आपूर्ति के लिए उत्पादक Bureau of Indian Standard का Valid License No. अंकित करेगा।

विरासभाजन

(ई. राजदेव सिंह)

मुख्य अभियन्ता-राह-संयोजक,

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

ज्ञापक -

358

/ राँची / दिनांक -

13/11/2020

प्रतिलिपि -

प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची / भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची / ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

358

/ राँची / दिनांक -

13/11/2020

ज्ञापक -

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ई. राजदेव सिंह)

मुख्य अभियन्ता-राह-संयोजक,

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

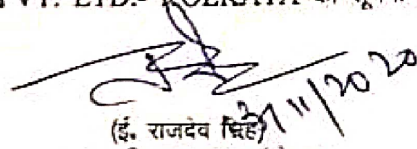
P.T.O.

आवक-

358

/ सीवी / दिनांक- 13/11/2020

प्रतिनिधि- SIDHIVINAYAK BITUMEN ENTERPRISE PVT. LTD.- KOLKATA को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(ई. राजदेव सिंह)

मुख्य अभियन्ता-सह-संयोजक,
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

